

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं.सं.-02/परी0-01(राज0)-07/2018-25

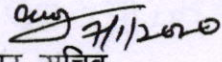
कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक- 07-01-2020

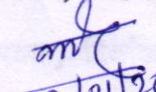
केन्द्रीय परीक्षा समिति राजस्व पर्षद बिहार द्वारा आयोजित Online विभागीय परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि विभागीय परीक्षा में भाग लेने से पूर्व भली-भाँति प्रश्नअधिकोष का अध्ययन कर ले तथा प्रश्नअधिकोष में किसी भी प्रश्न के प्रश्न विन्यास, प्रश्नों की शुद्धता में विसंगति पाई जाती है, तो इससे संबंधित प्रमाणिक साक्ष्यों के साथ राजस्व पर्षद कार्यालय में परीक्षा प्रारम्भ होने से एक सप्ताह पूर्व अवश्य सूचित कर दे, ताकि प्रश्नअधिकोष में वांछित सुधार किया जा सके। परीक्षा समाप्त होने के उपरांत प्रश्न पत्र में त्रुटि रहने से संबंधित परीक्षार्थी का दावा अनुमान्य नहीं होगा।

केन्द्रीय परीक्षा समिति राजस्व पर्षद के

आदेशानुसार


अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।


07/01/20